8/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.

वास्ते अन्तिम बहस हेतु

पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो

Wb
उपखण्ड अधिकारी
आरांई

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी से बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकार्ड हो।

Wb

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या .94/2023 उनवान सम्पत देवी बनाम ओमप्रकाश वगैरह

सम्पत देवी पत्नि हजारीलाल जाति बैरवा आयु लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

– प्रार्थीया

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र नारायण लाल जाति बलाई. बालिग
2. कैलाश चंद पुत्र नारायण लाल जाति बलाई, बालिग
3. गजेन्द्र पुत्र नारायण लाल जाति बलाई, बालिग
4. रामेश्वर लाल पुत्र नारायण लाल जाति बलाई, बालिग सर्व निवासीगण ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति रेगर, बालिग निवासी रेगरो का मोहल्ला, चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
6. सार्वजनिक निर्माण विभाग पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
7. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय अरांई जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 22/8/25

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राठौड एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 5.12.2024 को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीया के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम कटसुरा, पटवार हल्का कटसूरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 846 के खसरा संख्या 2551/5 क्षेत्रफल 1.6585 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम हिस्सा–पूर्ण एकल खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीया के ही कब्जा व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 2551/5 के पश्चिम, उत्तर (दोनो दिशाओं) में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थीया की उक्त भूमि के पूर्व दिशा में सरकारी भूमि खसरा संख्या 6 क्षेत्रफल 75.6658 हैक्टेयर किस्म चरागाह हैं तथा प्रार्थीया की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 6 सार्वजनिक निर्माण विभाग की खसरा संख्या 1249 क्षेत्रफल 3.3088 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क है तथा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीया ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब, अरांई को दिया गया था जिस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 09.06.2016 को तैयार किया गया था। मौके पर मौका पर्चा तैयार कर उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग करके कार्य करती चली आ रही है तथा प्रार्थीया व पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रार्थीया को पड़ौसी खातेदार बिना किसी वजह के प्रार्थीया को काश्त करने में, उसके विकास करने, भू–उपयोग परिवर्तन, संपरिवर्तन करवाने में बाधा रूकावट कारित करते रहते हैं जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीया अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 2551/5 की भूमि की पत्थर गढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीया एवं अड़ौस पड़ौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ़ सकता है वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशानियों से बचने के लिए तथा पड़ौसी खातेदारो से विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर पत्थर गढ़ी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना

आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीया मौके पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीया व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीया की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थर गढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीया जब भी हमेशा की तरह उपयोग उपभोग करती है तब प्रार्थीया व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य विवाद होते रहते है एवं प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2016 को बनायी गयी है उसके बाद भी विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की भूमि प्रार्थीया की भूमि के पश्चिम व उत्तर दिशा की सीमाओ से लगती हुई स्थित होने से पड़ौसी खातेदार एवं काश्तकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 6 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गै.मु. सड़क दक्षिण दिशा में होने से एवं अप्रार्थी संख्या 7 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है एवं प्रार्थीया की भूमि के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 6 चरागाह सरकारी भूमि है जिसका भू–धारक राज. सरकार है। प्रार्थीगण गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाके राजस्व ग्राम कटसुरा, पटवार हल्का कटसूरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 846 के खसरा संख्या 2551/5 क्षेत्रफल 1.6585 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 की सीमाओं का भोतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

दिनाकं 28.3.2024 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने पर वकील श्री रामदेव गुर्जर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । अप्रार्थी संख्या 05 व 06 बावजूद तामिली के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 8.11.2024 इनके के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । दिनांक 22.8.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान की की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन राजस्व ग्राम कटसुरा, पटवार हल्का कटसूरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरांई, तहसील अरांई स्थित खाता संख्या नया 846 के खसरा संख्या 2551/5 क्षेत्रफल 1.6585 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 6 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थी की श्रीमान से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की राजस्व ग्राम कटसुरा, पटवार हल्का कटसूरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 846 के खसरा संख्या 2551/5 क्षेत्रफल 1.6585 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 भूमि का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं राजस्व ग्राम कटसुरा, पटवार हल्का कटसूरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 846 के खसरा संख्या 2551/5 क्षेत्रफल 1.6585 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

{नीतू मीणा}
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)